



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2008/अग्रहायण 28, 1930

No. 660]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2008/AGRAHAYANA 28, 1930

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

रक्षोपाय अन्वेषण के प्रारम्भ की सूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2008

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण नियमावली, 1997) के नियम 6 के अधीन]

विषय : लीनियर एलकाईल बेनजीन (सीमा शुल्क टैरिफ Sub-heading-3817 00 11), जिसे सामान्यतः व्यवसायिक शब्दावली में LAB कहा जाता है, के भारत में आयात से सम्बन्धित रक्षोपाय अन्वेषण का प्रारम्भ ।

सा.का.नि. 866(अ).—भारत में लीनियर एलकाईल बेनजीन, जिसे सामान्यतः व्यवसायिक शब्दावली में LAB कहा जाता है, के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप लीनियर एलकाईल बेनजीन के घरेलू उत्पादकों को होने वाली गम्भीर क्षति से बचाने के लिए लीनियर एलकाईल बेनजीन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई, निरमा लिमिटेड, अहमदाबाद और इन्डियन आयल कारपोरेशन नई दिल्ली (सहयोगी) के द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. घरेलू उद्योग.—लीनियर एलकाईल बेनजीन के घरेलू उत्पादकों की ओर से लीनियर एलकाईल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई, निरमा लिमिटेड, अहमदाबाद और इन्डियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के सहयोग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। लीनियर एलकाईल बेनजीन (LAB) के घरेलू उत्पादकों द्वारा, जो कि भारत में कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

3. **संबद्ध उत्पाद** — आवेदकों द्वारा भारत में लीनियर एलकाईल बेनजीन (LAB) के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने का आरोप लगाया गया है। लीनियर एलकाईल बेनजीन जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत, सब हेडिंग संख्या 38170011 में वर्गीकृत है। इसका प्रयोग लीनियर एलकाईल बेनजीन सल्फोनिक एसिड या लीनियर एलकाईल बेनजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। इस यौगिक में घरेलू डिटरजेन्ट बनाने हेतु सक्रीय तत्व पाये जाते हैं। यह सर्फेस एक्टिव यौगिक होते हैं जिन्हें अन्य लवणों के साथ मिश्रित कर (मुख्यतः इनऑरगैनिक लवण) डिटरजेन्ट बनाया जाता है। (LAB सल्फोनेटस + Soda +STPP = घरेलू डिटरजेन्ट)

लीनियर एलकाईल बेनजीन प्राप्त करने के लिए पहले केरोसीन से C₁₀ - C₁₃ पैराफीन अलग करते हैं, फिर उन्हें आलीफिन्स में परिवर्तित करते हैं। इन आलीफिन्स से लीनियर एलकाईल बेनजीन बनाने के लिए इन्हें बैन्जीन से एलकालेट करते हैं।

4. **वर्धित आयात** — लीनियर एलकाईल बेनजीन का आयात भारत में मुख्यतः कतर, साउदी अरेबिया, स्वीटज़रलैन्ड और ईरान से होता है। लीनियर एलकाईल बेनजीन का आयात वास्तविक रूप से एवं घरेलू उत्पाद के सापेक्ष—दोनों ही प्रकार से आयात वृद्धि प्रदर्शित करता है। लीनियर एलकाईल बेनजीन (LAB) का आयात एवं घरेलू उत्पादन वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान निम्नानुसार रहा —

वर्ष	आयात (मी.ट.)	घरेलू उत्पाद (मी.ट.)
2004-05	9854	415383
2005-06	4871	467985
2006-07	21470	459082
2007-08	45505	470284

5. **घरेलू उत्पादको को गम्भीर क्षति** —घरेलू उत्पादकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि शुरुआती वर्षों की तुलना में वर्ष 2007-08 में आयात की मात्रा बढ़ी है। यह बढ़ोत्तरी 2004-05 में 9854

मी.ट. से बढ़ कर वर्ष 2007-08 में 45505 मी.ट. हो गया। इसी अवधि में आयात का अंश जो वर्ष 2004-05 में 3.82% था, इससे बढ़ कर वर्ष 2007-08 में 14.05% चला गया। साथ ही घरेलू उत्पाद का अंश 96.18% से गिर कर 85.95% हो गया। इससे घरेलू उत्पादकों की व्यवहार्यता पर गम्भीर क्षति हुई है।

6. **उत्पादन** — यद्यपि वर्ष 2004-05 के 415383 मी.ट. के घरेलू उत्पाद से बढ़ कर वर्ष 2007-08 में उत्पादन 470284 मी.ट. पहुँचा, परन्तु देश में इस घरेलू उत्पादन की खपत का अंश वर्ष 2007-08 में गिर कर 85.95% हो गया जो वर्ष 2004-05 में 96.18% था। इससे कारखानों की व्यवहार्यता पर असर हुआ। अपने विवाद को और पुष्ट करने हेतु आवेदकों ने तिथि 29.11.2008 को निम्न कारखानों के बन्द होने की सूचना दी है :-

1. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स — अक्टुबर 2008 तक 65% उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहा था जो कि 24.11.2008 को बन्द कर दिया गया।
2. रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड — अक्टुबर 2008 — नवम्बर 2008 तक 90% उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहा था जो कि 24.11.2008 को बन्द कर दिया गया।
3. निरमा लिमिटेड — अक्टुबर 2008 तक 70% उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहा था जो कि 16.11.2008 को बन्द कर दिया गया।

7. घरेलू उत्पादकों ने लीनियर एलकाईल बेनजीन (LAB) पर तीन वर्ष की अवधि के लिए, प्रथम वर्ष में 20% की अधोनति दर पर, दूसरे वर्ष में 15% और तीसरे वर्ष में 10% दर पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है व आवेदकों का विश्वास है कि इस प्रकार शुल्क एवं दूसरे पुनर्निमाण कार्यों द्वारा कारखानों को पुनः जीवित और चालू किया जा सकता है। उन्होंने विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप अपूर्ण क्षति की संभावनाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की प्रार्थना की है।

8. आवेदन पत्र को जाँचा गया ओर पहली दृष्टि में यह पाया गया है कि लीनियर एलकाईल बेनजीन (LAB) के वर्धित आयात से लीनियर एलकाईल बेनजीन के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति तथा गम्भीर क्षति की आशंका

उत्पन्न हुई है, तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

9. सभी संबद्ध पक्ष इस नोटिस की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर सकते हैं।

महानिदेशक (रक्षोपाय)
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
भाई वीर सिंह साहित्य सदन (द्वितीय तल)
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट,
नई दिल्ली - 110 001. भारत

टेलीफैक्स - 91-11 -23741542, 23741536

Email - dgsafeguards@nic.in

10. सभी ज्ञात संबद्ध पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है।

11. अन्वेषण से संबंधित अन्य पक्ष जो संबद्ध पक्ष समझे जाने के इच्छुक हों, अपना आवेदन इस सूचना कि तिथि के 21 दिन के अन्दर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास भेज दें।

[सं. डी.-22011/23/2008]

सर्वजीत सिंह राणा, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE
NOTICE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 19th December, 2008

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub. : Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Linear Alkyl Benzene (Customs Heading 3817 00 11) generally known as 'LAB' in commercial parlance.

G.S.R. 866(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai, Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai, Nirma Ltd., Ahmedabad and supported by Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi for imposition of Safeguard Duty on imports of Linear Alkyl Benzene, known as 'LAB' in commercial parlance, into India to protect the domestic producers of Linear Alkyl Benzene (LAB) against serious injury caused by the increased imports of Linear Alkyl Benzene (LAB) into India.

2. **Domestic Industry:** The application has been filed by M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai, Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai, Nirma Ltd., Ahmedabad and supported by Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi for imposition of Safeguard Duty on imports of Linear Alkyl Benzene (LAB). The application has been made by domestic producers of Linear Alkyl Benzene (LAB) in India accounting for 100% of the total production.

3. **Product Involved:** The applicants have alleged serious injury caused to the domestic producers by the increased imports of Linear Alkyl Benzene (LAB) into India. Linear Alkyl Benzene (LAB) is classified under sub-heading No. 3817 00 11 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. It is used for the manufacture of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid or the Sodium Salt of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid. These compounds constitute the 'Active' ingredients of household detergents. They are surface active compounds (surfactants) which are combined with various builders (often inorganic salts) to make up detergents (LAB Sulfonates + Soda Ash + STPP = Household detergent).

Linear Alkyl Benzene (LAB) is produced by first isolating C10 - C13 Paraffins from feedstock kerosene and converting it to their olefins. These olefins are then alkylated to Benzene to form Linear Alkyl Benzene.

4. **Increased Imports:** Linear Alkyl Benzene (LAB) is imported into India mainly from Qatar, Saudi Arab, Switzerland and Iran. The imports of Linear Alkyl Benzene (LAB) have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the domestic production. The import and domestic production of Linear Alkyl Benzene (LAB) during the period from 2004-05 to 2007-08 was as under:

Year	Imports (MT)	Domestic Production (MT)
2004-05	9854	415383
2005-06	4871	467985
2006-07	21470	459082
2007-08	45505	470284

5. **Serious Injury to the domestic producers:** It is seen from the data supplied by the Domestic Industry that there has been an increase in the import volumes during the 2007-08 as compared to the base year. The import grew from 9854 MT in 2004-05 to 45505 MT in 2007-08. The share of import in domestic production during the same period rose from 3.82% in 2004-05 to 14.05% in 2007-08 and consequently share of domestic production in consumption came down from 96.18% to 85.95% seriously hampering the viability of domestic industry.

4956 98/08 - 2

6. **Production:** Though domestic production increased from 415383 MT in 2004-05 to 470284 MT in 2007-08 share of domestic production in local consumption fell from 96.18% in 2004-05 to 85.95% in 2007-08 making these units unviable. In further support of their contention, the applicants on 28/11/2008 have informed about the closure of the following units due to worsening conditions.

1. The Tamilnadu Petroproducts Ltd. was operating at about 65% capacity until October 2008 and has been closed down on 24.11.2008.
2. The Reliance Industries Ltd. was operating at about 90% until October 2008– November 2008 and was shut down on 24.11.2008.
3. The Nirma Ltd. was operating at about 70% capacity until October 2008 and they too shut down on 16.11.2008

7. The domestic producers have requested for imposition of Safeguard Duty on imports of Linear Alkyl Benzene (LAB) for a period of three years on a declining rate of 20% for 1st year, 15% in 2nd year and 10% in the 3rd year which they hope when coupled with the various restructuring measures already initiated will help the industry to survive. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty in view of the prevailing critical circumstances leading to irreparable damage.

8. The application has been examined and *prima facie* it is found that increased imports of Linear Alkyl Benzene (LAB) have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Linear Alkyl Benzene (LAB) and therefore it has been decided to initiate an investigation through this notice.

9. **All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:**

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market,
New Delhi-110 001
INDIA.
Telefax: 91-11-23741542/91-11-23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

10. All known interested parties are also being addressed separately.

11. **Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.**

[No. D-22011/23/2008]

S. S. RANA, Director General